



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Email:connectpuregistrar@gmail.com

www.vbspu.ac.in

पत्रांक: 5929 / शैक्षणिक / 2023-24

दिनांक: 11.07.24

सेवा में,

- समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष,
परिसर पाठ्यक्रम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- प्राचार्य/प्राचार्या एवं प्रबन्धक,
सम्बद्ध महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषय:—प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग की समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर 2024-2025 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 972/सत्तर-1-2024 दिनांक 08 जुलाई 2024 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण का विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि—

- वित्त अधिकारी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- परीक्षा नियन्त्रक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- निजी सहायक कुलपति, मा०कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
- वेबमास्टर को इस आशय के प्रेषित की उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।
- गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्रेषक,

एम०पी० अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक : ०४ जुलाई, २०२४

विशय:- प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग की समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु शैक्षणिक कैलेंडर २०२४-२५ के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-१०५८/सत्तर-१-२०२३-१६ (११)/२०१४ टी०सी०-११ दिनांक १७.७.२०२३, पत्र संख्या-११३४/सत्तर-१-२०२३-१६ (११)/२०१४ टी०सी०-११ दिनांक १६.८.२०२३ तथा पत्र संख्या-१३४९/सत्तर-१-२०२३-१६ (११)/२०१४ टी०सी०-११ दिनांक ०९.११.२०२३ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के हेतु शैक्षिक सत्र २०२४-२५ के लिये परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र०सं०	शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ का प्रवेश/परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
प्रथम सेमेस्टर (Odd Semester)		
1.	सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	२४.०७.२०२४
2.	प्रथम सेमेस्टर के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	२५.०७.२०२४ से ३०.०७.२०२४ (before and after classes)
3.	सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	२५.०७.२०२४
4.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (१५ सप्ताह/९०)	०२.११.२०२४

	दिवस)	
5.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि*	10.11.2024
6.	सेमेस्टर की परीक्षाएँ (30 दिन) Exam Window-1	11.11.2024 से 10.12.2024
7.	शीतावकाश (15 दिन)	21.12.2024 से 05.01.2025
8.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	05.01.2025
तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर (Odd Semester)		
9.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	11.07.2024
10.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	20.10.2024
11.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि*	31.10.2024
12.	सेमेस्टर की परीक्षाएँ (30 दिन) Exam Window-1	11.11.2024 से 10.12.2024
13.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	05.01.2025
द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम एवं अष्टम सेमेस्टर (Even Semester)		
14.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	06.01.2025
15.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	15.04.2025
16.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि*	20.04.25
17.	सेमेस्टर की परीक्षाएँ (30 दिन) Exam Window-2	11.04.2025 से 10.05.2025
18.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	15.06.2025
19.	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01.06.2025 से 30.06.2025
वार्षिक प्रणाली (Annual System)		
20.	नये विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अन्तिम तिथि	24.07.2024
21.	प्रथम सेमेस्टर/वर्ष के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम (One week Student Induction Programme-SIP' as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	25.07.2024 से 30.07.2024
22.	नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	25.07.2024

हैं। विद्यार्थी संस्तुत कोर्स का अध्ययन स्वयम् (SWAYAM) पर निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय उसकी परीक्षा माईनर पेपर के साथ करायेंगे।

9. अधिकांश विद्यार्थियों के इण्टरीमीडिएट परीक्षा परिणाम 15 मई तक तथा स्नातकोत्तर के परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिये जाते हैं। अतः सभी प्रकार के प्रवेश 25 जुलाई तक पूर्ण किये जायें। यदि CUET आदि जैसी परीक्षाओं के परिणाम के कारण विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिये साक्ष्य के आधार पर सीटें रिक्त होने पर प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा दी जा सकती है तथा उनका छूटा हुआ शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षायें लेकर पूर्ण कराना होगा जिससे शैक्षणिक कलैण्डर प्रभावित न हो।

10. प्रवेश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कुलसचिव का होगा। किसी भी प्रकार की देरी के लिए कुलसचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि की जायेगी।

11. एन0न0ई0पी0-2020 के अनुसार विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है जिसे शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे। विश्वविद्यालय सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार का मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं करेंगे। सतत अतिरिक्त मूल्यांकन (CIE) के लिए शिक्षक परीक्षाओं के स्थान पर शासनादेश संख्या-2058/सत्तर-3-2021-08(3)/2020 टी०सी० दिनांक 26.08.2021 में दिये गये सुझावों के आधार पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण मूल्यांकन करेंगे। कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सतत अतिरिक्त मूल्यांकन (CIE) के अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

12. परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय कैम्पस एवं महाविद्यालय) अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग/अपलोड करेंगे, जो संस्थान के चैनल पर उपलब्ध रहेगी तथा सभी संस्थानों के यूट्यूब चैनल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक किये जायेंगे। सभी संस्थान निःशुल्क अपना यूट्यूब चैनल बनायेंगे जिस पर अन्य विविध गतिविधियों को भी अपलोड कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक प्राचार्य/प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के लिये कार्यशाला आयोजित करेंगे।

13. वर्तमान समय में लिखित/वर्णनात्मक (Descriptive) परीक्षा एवं बहुउत्तरीय (MCQ) परीक्षा का अपना-अपना महत्व है। लिखित परीक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान को अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन बहुउत्तरीय (MCQ) के आधार पर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परीक्षा/परीक्षा परिणाम समयान्तर्गत पूर्ण करने के लिए विषम (ODD) सेमेस्टर की परीक्षा लिखित वर्णनात्मक (Descriptive) प्रकार से एवं सम (Even) सेमेस्टर की परीक्षा बहुउत्तरीय (MCQ) प्रकार से सम्पादित की जा सकती है।

14. शासनादेश संख्या-600/सत्तर-1-2019-16 (114)/2010 दिनांक 28.06.2019 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार यू०जी०सी०-2018 के बिन्दु संख्या 8.1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार शिक्षक को अधिकतम 30 दिवस का कार्यवकाश (Duty leave-DL) दिया जा सकता है, जिसमें शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सभी प्रकार के कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ शिक्षकों को ही बार-बार कार्य आवंटित किया जाता है तथा अन्य योग्य शिक्षकों को कार्य आवंटित नहीं किया जाता है विश्वविद्यालय कुलसचिव सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी शिक्षक को 30 दिन से अधिक का विश्वविद्यालय कार्य आवंटित न किया जाये जिससे सभी शिक्षक विश्वविद्यालय कार्य में प्रतिभाग कर सकें। किसी भी दशा में शिक्षक के शिक्षा दिवसों को कम नहीं किया जायेगा।

15. शैक्षणिक कार्य को समय पूर्ण कराये जाने हेतु शैक्षणिक अवधि के उपरान्त अतिरिक्त कक्षायें चलाकर तथा अवकाश के दिनों में भी अतिरिक्त कक्षायें चलाकर शैक्षणिक कार्य को निर्धारित

कार्यक्रमानुसार पूर्ण कराते हुये ससमय परीक्षा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
16. शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षक अपने आवंटित मूल्यांकन/परीक्षा परीक्षा/प्रदेश/प्रवेश संबंधी कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय कार्य करने पर उन्हें यू०जी०सी० नियमन-2018 नियमानुसार कुलसचिव/ प्राचार्य द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

भवदीय

(एम०पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-१७२ (1)/सत्तर-1-2024-16(11)/2014 टी०सी०-II तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा शासन को सूचित करें।
7. निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी/समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव